

आयालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम //

फर्द अहकाम नारीख रज
 क्र. नं. 12/12
 उनवान - श्रीमति रेशम vs रघुवीर वंश
 दावा - बावत घोबपा खातेदारी
 219-28
 2-2-12

वादगण की ओरसे श्री रामगोसी गुहा एडवोकेट ने दावा बावत घोबपा खातेदारी पेश किया है अबलेफ्त किया गया। प्रतिवादगण जरिये सम्मन तलबकों/दावा दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली दिनांक 23.2.12 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 टोडाभीम, करौली (राजप)

23²/12 वाडी वकील उपखण्ड / सम्मन प्रतिवादगण की राशीव नोटिस प्राप्त नहीं हुई है। प्रसाध्य क्रमण पर पंच्यो है। बाकी का भीम कोपेश दिनांक 26/3/12 को पेश हो।

26³/12 वादी वकील उप. प्रतिवादी नं. 4, 5, 7, 8, 9, 10 के सम्मनों की लाभिल विधिवत हो चुकी है, बावजुद सूचना उपस्थित नहीं है, अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीप कार्रवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी नं. 3 गोबम नहीं दखा गोब कसिम का नंगला तहो दिखोत्र मे रहने की रिपोर्ट लाभिल कुनिदा मे की छी तथा प्रति नं. 1, 2, 3 के फोट हो जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पेश करत कापम मुबाम प्रति नं. 1, 2, 3 एवं तलवावा प्रति नं. 3 दिनांक 30.3.12 को पेश हो।

↑

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

3

फर्द अहकाम

वकुलाय उप०। बहस के लिए समय चाहा। दिया गया।
वास्ते बहस दिनांक 16.11.15 को पेश हो।

वकुलाय उप०। बहस के लिए समय चाहा। दिया गया।
वास्ते बहस दिनांक 26.11.15 को पेश हो।

26/15 वकुलाय उपस्थित पीठासन अधिकारी अपराजित
है। गतानुसार दिनांक 21.12.15 को पेश हो।

9/15 पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन
रखा गया है। गतानुसार दिनांक 15.12.15
को पेश हो।

15/15 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी वकील
उपस्थित नहीं हैं कर्तव्य आवाज दिलाई गई
किन्तु भी वादी वकील व वादीगण तथा प्रतिवादी
वकील व प्रतिवादीगण में से कोई उपस्थित नहीं है।
अतः अदम हाजिरी एवं अदम चेखी में दावा
खातिज किया जा रहा है। पत्रावली फैलाने शुभान
होकर गान्धे से कम होकर दाखिल दफ्तर है।